विषय :—सरकारी कार्य निपटान में विलम्ब की समाप्ति शाखाओं में पुराने विलम्बित मामलों के आंकड़ों का संग्रह करना।

क्या सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, कृपया उपरलिखित विषय पर ध्यान देंगे ?

2. मामलों के निपटान में देरी को समाप्त करने तथा प्रशासकीय सचिवों को उनकी शाखाओं में लम्बित मामलों से उन्हें सूचित रखने के उद्देश्य से जनवरी 1961 में ये अनुदेश जारी किए गए थे कि लम्बित केसों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में एकत्रित करके प्रशासकीय सचिवों के नोटिस में लाया जाया करें। यह देखने में आया है कि इन अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और आवश्यक विवरण तैयार नहीं किए जा रहे हैं। यह एक गम्भीर चूक है और अब यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में संलग्न प्रपत्र तैयार किए जाये तथा एक अतिरिक्त प्रति सहित प्रत्येक मास की 7 तारीख तक सम्बन्धित प्रशासकीय सचिव को प्रस्तुत किए जायें। तत्पश्चात् प्रशासकीय सचिव द्वारा दूसरी प्रति मुख्य सचिव, (प्रशासनिक सुधार शाखा में) को मुख्य मंत्री महोदय की सूचना के लिए भेजी जानी चाहिए।

3 यह निवेदन किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाए।

4 कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

उप सचिव, सचिवालय स्थापना,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा: क्रमांक 1250-5 ए. आर.-70, दिनांक, चंडीगढ़ 5 अक्तूबर, 1970

एक प्रति सभी वित्त आयुक्तों को सूचना तथा वैसी ही कार्यवाही के लिए भेजी जाती है।

उप सचिव, सचिवालय स्थापना,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

सभी वित्तायुक्त हरियाणा।

अशा: क्रमांक 1250-5 ए. आर.-70, दिनांक, चंडीगढ़ 5 अक्तूबर, 1970